कार्यालय कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी, मथुरा।
(आबकारी अनुभाग)

संख्या– 467 /व्यवस्थापन/2022–23 दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2022–23 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–02/2022/01 ई–2/तेरह–2022–01/2020–1419282 दिनांक 01.01.2022 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–19938/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2022–2023 दिनांक 02.01.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–मथुरा में वर्ष 2022–23 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 09.01.2022 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2021–22 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयीं दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2022 (प्रातः 10.00 बजे) से दिनांक 21.01.2022 (सायं 05.00 बजे) तक ई–लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी के प्रथम चरण के माध्यम से दिनांक 12.03.2022 को (मध्यान्ह 12.00 बजे) से किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि जनपद–मथुरा के तीर्थ स्थल घोषित 22 वार्डों में संचालित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानें तथा माडलशाप्स का नवीनीकरण/व्यवस्थापन शासन द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के अधीन होगा।

• जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट mathura.nic.in तथा ई–लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

(कुमार प्रभात चन्द्र)
जिला आबकारी अधिकारी,
मथुरा।

(नवनीत सिंह चहल)
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी,
मथुरा।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–

1–सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र–अमर उजाला/दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में मथुरा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर ही न्यूनतम स्पेस में कराकर भुगतान हेतु अपने बिल के साथ डीएवीपी व यूपीडीए की रेट लिस्ट कार्यालय में प्रस्तुत करें।

2–जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, मथुरा को उक्त विज्ञप्ति/सूचना का प्रदर्शन जनपद की वेबसाइट पर कराना सुनिश्चित करने हेतु।

3–आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1, 2, 3, 4 व 5, जनपद–मथुरा को राजस्व हित में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

(कुमार प्रभात चन्द्र)
जिला आबकारी अधिकारी,
मथुरा।

(नवनीत सिंह चहल)
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी,
मथुरा।